

सामाजिक सुधारों के संबंध में तिलक का दृष्टिकोण

तिलक के राजनीतिक जीवन में ही विरोध हो ऐसी बात नहीं बल्कि सामाजिक विचारों से संबंधित क्षेत्र में भी उनके विरोधी थे। उनके निकटतम मित्र आगरकर उन विरोधियों की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं। जो तिलक को सामाजिक विचारों में पिछड़ा हुआ और रुद्धिवादी बताते थे। यह विरोध इतना अधिक बढ़ गया कि तिलक को उस शिक्षा संस्थान से भी अलग होना पड़ा जिसकी स्थापना उन्होंने बड़े मनोयोग से की थी। लोकमान्य द्वारा बाल विवाह निरोधक बिल का जब विरोध किया गया तब दिया प्रचार सब जगह किया गया कि तिलक कट्टर सनातनी है, और समाज सुधार के विरोधी हैं अंग्रेजों के प्रिय लोगों ने उन्हें प्रतिक्रियावादी कहा उनके विरुद्ध पर यह कहा जाता था कि वे मराठों के घरों में वैदिक रीति के अनुसार धार्मिक और सामाजिक उत्सव मनाए जाने का विरोध करते थे।

सामाजिक सुधारों के संबंध में उनका निश्चित दृष्टिकोण था। वह समाज की सहायता से समाज सुधार करना अनुचित मानते थे। इसके साथ-साथ हुआ अपने देशवासियों के रिवाजों संस्थाओं आदि तौर-तरीकों की निंदा करते हुए कुछ भी लिखने या बोलने में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा ना करने के लिए उनका यह मत था कि इससे उनमें हीनतम की भावना जन्म लेगी। तिलक भारतीयों को उनके वैभवशाली अतीत और उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्मरण करा कर। उन्हें सुधारों के लिए प्रेरित करना कहीं अधिक ठीक समझते थे। इस विचारधारा के साथ साथ वह सबसे पहले देश वासियों की शक्ति को शुद्धता प्राप्त करने में लगना चाहते थे। उन्होंने 'केसरी' के माध्यम से बुरे और सड़े-गले रीति-रिवाजों को सही छोड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया। वह जनजागरण जागृति के माध्यम से ही सामाजिक सुधारों को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। मुंबई के एक निवासी श्री राम जी पारसी लाचारी भी 'इंडियन स्पैक्टेटर' नामक एक पत्र निकालते थे। वह पश्चात विचारों के समर्थक व सामाजिक सुधारों के प्रवर्तक थे वह पति-पत्नी के संबंधों में पाश्चात्य दृष्टिकोण से कानून निर्माण के आधार पर ऐसा परिवर्तन करना चाहते थे। जिससे विवाह की उम्र बढ़ाने स्त्री को विवाह विच्छेद की सुविधा

देने के समर्थक थे। इस संबंध में इंपीरियल काउंसिल में 9 जनवरी सन 1891 को एक बिल प्रस्तुत हुआ जिसमें लड़की की योग्य आयु 10 से 12 वर्ष करने का भी प्रावधान किया गया था। तिलक इस बिल के विरोधी थे। वह रजस्वला होने की आयु को ही विवाह की कानूनी एवं आने-जाने के समर्थन करने लगे उनके विरोधियों ने उन पर तरह-तरह के आक्षेप किए।

इस बिल के कानून बन जाने के बाद भी तिलक ने खुले रूप से समाज सुधार के लिए जो प्रस्ताव रखे थे। उस पर उनके विरोधियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की क्योंकि वह तो आराम कुर्सी पर बैठने वाले समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन से सुधार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। उन्होंने सुझाव दिए थे:-

1. कन्याओं का विवाह 14 वर्ष की आयु के पूर्व ना हो।
2. लड़कों का विवाह 20 वर्ष की आयु के पहले नहीं किया जाना चाहिए।
3. कोई मनुष्य 40 वर्ष के पश्चात विवाह ना करें।
4. मूरी मनुष्य दोबारा विवाह करना चाहे तो उसे एक विधवा से ही विवाह करना चाहिए।
5. कोई मद्यपान ना करें।
6. दहेज की प्रथा समाप्त कर दी जाए।
7. विधवाओं को कुरुप ना किया जाए।
8. जो भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करें वह समाज सुधार और सार्वजनिक कार्य की वृद्धि के लिए अपनी आय का 20 वा भाग दान देने को तत्पर रहें।

‘शारदा सदन’ एक विदुषी महिला रमाबाई द्वारा चलाया जाता था। हिंदू धर्म को मानने वाली थी, परंतु उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। भारत में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए सदन चलाया। विधवा स्त्रियों का इस सदन के माध्यम से ईसाई धर्म के प्रचारकों से मेल बढ़ता था धर्म परिवर्तन के लिए अवसर मिलते थे। तिलक ने इसी दृष्टिकोण से इसका विरोध किया। तिलक के विरोधियों ने उन्हें स्त्री शिक्षा का विरोधी बताया। वास्तव में यह कानून की विडंबना ही थी कि इन्हें इनके समकालीन नेताओं ने गलत ढंग से प्रस्तुत किया। शारदा सदन केस में तिलक की

विजय हुई हराना डे जैसे लोगों ने बाद में शारदा सदन से अपना संबंध तोड़ लिया तिलक के द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों पर गोखले के हस्ताक्षर थे किंतु सभी समाज सुधारकों को उस समय नीचा देखना पड़ा जब उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद गोखले ने किसी विधवा से विवाह नहीं किया।

तिलक और अन्य सुधारकों में यही अंतर था कि तिलक भाषण देने का स्थान पर निजी जीवन में सभी सुधारों को अपनाने के इच्छुक रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नि को शिक्षित किया और 16 वर्ष की आयु के बाद ही उनके विवाह किए। मद्य निषेध के लिए सक्रिय होकर कार्य करते थे। तब समाज सुधार का विरोध उनके विश्वास का अंग नहीं था बल्कि वह उनका नीति का बहुमूल्य अंग था। महाराष्ट्र की साधारण हिंदू जनता की धार्मिक कट्टरता को वह पहचानते थे इसलिए वह किसी भी सामाजिक सुधार में बाय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे।

मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण:- सन 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना प्रबल शत्रु माना और उन्हें शासन में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाता था। हिंदू ही सब स्थानों पर प्रतिष्ठित थे। हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति क्षीण करने के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस परिवर्तित दृष्टिकोण का परिणाम यह निकला कि मुंबई और पुणे में समय-समय पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। सन 1853 में पहला दंगा पारसी और मुसलमानों में हुआ। 1893 में मुसलमानों ने जूनागढ़ में हिंदुओं पर हमला किया। सन 1893 अगस्त माह में मुंबई भी सांप्रदायिक आग में झुलस गई।

तिलक ने इन सभी परिस्थितियों का अवलोकन किया संगठित हिंसा का संगठित समाज के माध्यम से प्रतिकार करने का आह्वान किया। उन्होंने जितने भी दंगे देखें सभी में मुसलमानों को अगवा पाया। फलतः मुंबई के दंगे पर केसरी में उन्होंने लिखा “मुसलमान लोग भाग गए हैं और यदि वे भाग गए हैं तो इसका एकमात्र कारण सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना ही है वह हिंदुओं के निर्मल और असंगठित बने रहने को उपर्युक्त अनुभव नहीं करते थे”। उन्होंने इसी आधार पर गणपति उत्सव और शिवाजी जयंती का आयोजन किया था। मुस्लिम

समाज में उन्होंने विरोधी के रूप में देखा जाने लगा। लोकमान्य अंग्रेज शासन की इस 'विभाजित कर शासन करो' की नीति के घोर विरोधी थे। वह अक्सर कहा करते थे कि हिंदुओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि मित्रता और प्रेम केवल उन्हीं लोगों में रह सकते थे जो समान रूप से शक्ति संपन्न हो। वह प्रायः कहा करते थे कि इसी कारण जब मुस्लिम वर्ग अधिक शक्ति अर्जित करेगा तब अंग्रेज उन्हें उसे दिए गए सम्मान से मुक्त करने का प्रयास करेगा इस प्रयास के परिणाम स्वरूप ही हिंदुओं और मुसलमानों में मेल संभव है। तिलक के लेखों और विचारों को यदि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो उनमें सांप्रदायिकता का कोई चीज नहीं मिलता। लखनऊ में जब कांग्रेस के दोनों पक्ष मिले तब कांग्रेस से लखनऊ समझौता हुआ। उस समझौते में तिलक का योगदान था। जिन्ना, शौकत अली, आसिफ अली अंसारी उन्हें बेहद प्यार करते थे। वह महान देशभक्त थे। अपने निष्पक्ष भावनाओं के आधार पर ही वह मुसलमानों को सही दिशा की ओर ले जाना चाहते थे वह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे विरोधी नहीं।